न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

रामलोचन विश्वकर्मा तनय श्री सरयू प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम नरैनी पो. पाड़र थाना व तह. मऊगंज जिला रीवा म.प्र. .....निगरानीकर्ता

बनाम

1–मनसुखलाल पाण्डेय पिता हरिहर प्रसाद पाण्डेय

2–शत्रुधन प्रसाद पिता हरिहर प्रसाद

3–सुनीता देवी पुत्री हरिहर प्रसाद

4–ददोली प्रसाद तनय हरिहर प्रसाद

5–श्यामकली पिता हरिहर प्रसाद

6–चन्द्रवती पिता हरिहर प्रसाद

7–मारकण्डेय पिता राममिलन

8–सतयभामा पुत्री राममिलन

9–गीता देवी पुत्री राममिलन

सभी निवासी ग्राम उधौपुरवा तह. मऊगंज जिला रीवा म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के पुर्नविलोकन प्र.क. ...../14/15 मे पारित पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 13.10.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न हैं –

1– यह कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधी. न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर तथा परीक्षण न्यायालय के मूल अभिलेख को देखा जाकर जरिए प्र.क. 724/निगरानी/07–08 आदेश दिनांक 26.05.2015 विधि संगत आदेश पारित किया गया था किन्तु गैर निगरानीकर्तागण द्वारा अवैधानिक तरीके से दिये गए

.....2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3400/II/15 .... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	रामगोपाल कार्यवाही तथा आदेश मनसुखलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण मे आवेदक के अधिवक्ता श्री आर० एस० सेंगर उपस्थित। उन्हे प्रकरण मे ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण मे आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 13-10-2015 की प्रमाणित प्रति तथा अन्य संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 724/निग०/07-08 मे पारित आदेश दिनांक 26-5-15 के विरूद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत अनावेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन को सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जाने संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 13-10-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश दिनांक 13-10-15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी मात्र पुनर्विलोकन आवेदन को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अनावेदक	

[क्र. प. उ.

R-3400/II/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रामगोपाल मनसुखलाल (जो इस निगरानी प्रकरण मे आवेदक है) आहूत करने के आदेश दिये गये है। प्रकरण मे अपर आयुक्त द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान मे अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की सम्भावना हो। इसके अतिरिक्त उभयपक्ष को अपर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने एवं अपना पक्ष रखने का भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहां पर पक्षकार अपना समर्थन कर सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13-10-15 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा० रिकार्ड हो। 5.1.16 (सदस्य)	